

उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड, प्रादेशिक प्रधान केन्द्र, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ।

फोन नं. 0522-2385328

ई-मेल-upscouts@sancharnet.in

विशिष्ट सेवा पदक हेतु आवेदन पत्र

निर्देश -

- १- कृपया ए०पी०आर०ओ० Part-I के अध्याय -६ नियम ५ व ६ का अध्ययन करने की कृपा करें।
- २- यह प्रपत्र केवल प्रादेशिक संस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले सेवा पदकों के लिए है।
- ३- आवेदन पत्र की तीन प्रतियाँ प्रमाणकों सहित जिला संस्था की संस्तुति हेतु प्रस्तुत करें, जो २ प्रतियाँ प्रादेशिक मुख्यालय को जिला कार्यकारिणी की संस्तुति के साथ उपलब्ध करायेगी -

स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साइज का
फोटो यहाँ चिपकाएं

लॉग सर्विस मैडल, मेडल आफ मेरिट, बार-टू-दि मेडल आफ मेरिट में से जिस पदक हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसका नाम लिखें - - - - -

१- नाम अभ्यर्थी : _____

२- जन्म तिथि : _____

३- व्यवसाय : _____

४- आवासीय पता : _____

५- विद्यालय का नाम : _____

६- जनपद : _____

७- शैक्षिक योग्यता : _____

८- स्काउटिंग / गाइडिंग में योग्यता : _____

९- वर्तमान में स्काउटिंग / गाइडिंग में किस पद पर कार्यरत है : _____

१०- स्काउटर / गाइडर के रूप में सेवाकाल : _____ वर्ष

(प्रथम बार अधिकार पत्र निर्गत होने की तिथि से)

अधिकार पत्र नं.....जारी होने की तिथि

अधिकार पत्र का अद्यतन नवीनीकरण नं..... तिथि(संलग्न करें)

११- अधिकार पत्र जिस यूनिट से संबंधित हो, उस विद्यालय / स्वतंत्र यूनिट का नाम / पता

पंजीकरण संख्या _____ पंजीकरण तिथि _____

१२- प्रादेशिक मुख्यालय से अद्यतन नवीनीकरण संख्या _____ तिथि _____

१३- प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण :-

क्रमांक	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रमाण पत्र संख्या	दिनांक
---------	---------------------	--------------------	--------

१-

२-

३-

४-

१४- सेवा कार्यों का विवरण :-

(१) जनपद स्तर पर :-

क्रमांक	कार्य का स्वरूप	स्थान	तिथि	कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले सदस्यों की संख्या
१				
२				
३				
४				
५				
६				

१५- आवेदन कर्ता के कार्यकाल में जनपद स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति विवरण :- (५ वर्षों का)

१- तृतीय सोपान प्राप्त स्काउट/गाइड :.....

२- राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गाइड :.....

३- राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गा./रोवर/रेंजर :.....

(२) मण्डल/प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्यों का उल्लेख:-

१.

२.

३.

४.

५.

(३) प्रशिक्षक के रूप में किए गए कार्यों का उल्लेख:-

क्रमांक	शिविर का स्तर	स्थान	तिथि	प्रतिभागियों की सं०
---------	---------------	-------	------	---------------------

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

(8) स्काउट आंदोलन के प्रति की गई अन्य प्रशसनीय सेवाओं का विवरण :-

क्रमांक	शिविर का स्तर	स्थान	तिथि	प्रतिभागियों की सं०
१				
२				
३				
४				

१६- यदि पूर्व में संस्था में किसी पद पर रहकर कार्य किया हो तो उस पद का नाम, कार्य करने की अवधि का उल्लेख करते हुए उस पद पर रहकर किए गए कार्यों का विवरण दें, जिससे संस्था लाभान्वित हुई हो।

क्रमांक	पद का नाम	अवधि	किए गए कार्यों का विवरण
१			
२			
३			
४			

१७- यदि पूर्व में कोई प्रादेशिक / राष्ट्रीय स्तर का पदक प्राप्त किया हो तो उसका विवरण:-

क्रमांक	पदक का नाम	वर्ष	प्रमाण पत्र सं.
१			
२			
३			

घोषणा :- मैं (नाम)----- घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं। यदि कोई कथन असत्य पाया जाता है तो प्राप्त पदक / पुरस्कार किसी भी समय संस्था द्वारा वापस लिया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर -----

पता व फोन नं. -----

नोट- आवेदन पत्र में दर्शायी गयी सूचनाओं के अनुसार प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

जिला संस्था के प्रयोगार्थ

जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक ----- में आवेदक को
..... पदक देने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।

ह०
जिला सचिव
मुहर

प्रादेशिक मुख्यालय के प्रयोगार्थ

प्रादेशिक अवार्ड कमेटी द्वारा उक्त प्रस्ताव दिनांक-----की बैठक में स्वीकृत /
अस्वीकृत किया गया।

ह०-----

अध्यक्ष
अवार्ड कमेटी

ह०-----

प्रा.संग.कमि.(स्का./गा.)

प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति द्वारा संस्तुति

प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-----में प्रस्ताव
स्वीकृत / अस्वीकृत किया गया।

ह०

प्रादेशिक सचिव

उ०प्र० भारत स्काउट/गाइड

उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड

प्रादेशिक मुख्यालय : महानगर, लखनऊ

पुरस्कार एवं अलंकरण

स्काउट/गाइड तथा स्काउटर/गाइडर एवं पदाधिकारियों को प्रोत्साहन स्वरूप अलंकरण तथा पुरस्कार की व्यवस्था राष्ट्रीय संस्था द्वारा स्वीकृत तथा प्राधिकृत इस प्रकार है:-

1- सेवा तारा : (सर्विस स्टार) स्काउट/गाइड व स्काउटर/गाइडर की निरन्तर सेवा हेतु राज्य मुख्यायुक्त की संस्तुति पर प्रदान किये जाते हैं।

2- विशिष्ट सेवा तारा: 25 वर्ष से अधिक सेवा पर राज्य मुख्यायुक्त की संस्तुति पर प्रदान किया जाता है।

3- शौर्य के लिए पुरस्कार: स्काउट/गाइड, तथा स्काउटर/गाइडर या ऐसे व्यक्ति जो अप्रशासकीय या अवैतनिक पद पर हो या सयुक्त कार्यवाही की दशा में ग्रुप को प्रदान किया जाता है। राज्य मुख्यायुक्त की संस्तुति पर नेशनल कमिश्नर तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के परामर्श पर प्रदान किया जाता है।

4- रजत तारा: (सिल्वर स्टार) यह पुरस्कार वारंट प्राप्त तथा बिना वारंट प्राप्त वाले युनिट लीडर अथवा पदाधिकारियों को 20 वर्ष की निरन्तर तथा विशेष उल्लेखनीय सेवा पर राज्य कार्यकारिणी समिति एवं राज्य मुख्यायुक्त क. संस्तुति पर प्रदान किया जाता है।

5- रजत तारे पर पट्टी : (बार टू दि सिल्वर स्टार) रजत तारे की प्राप्ति के कम से कम 5 वर्ष की अवधि के बाद अतिरिक्त सेवा पर प्रदान किया जाता है।

5- रजत तारे पर पट्टी : (बार टू दि सिल्वर स्टार) रजत तारे की प्राप्ति के कम से कम 5 वर्ष की अवधि के बाद अतिरिक्त सेवा पर प्रदान किया जाता है।

प्रदेश स्तर पर अलंकरण तथा पुरस्कार

1- धन्यवाद बैज : आन्दोलन के सक्रिय स्काउट/गाइड या स्काउटर/गाइडर या अन्य वारंट प्राप्त सदस्यों के अलावा आन्दोलन के मित्र अथवा शुभचिन्तकों को जिन्होंने आन्दोलन के लिए अपनी विशेष सेवाएँ अर्पित की हैं, उन्हें जिला मुख्यायुक्त एवं जिला आयुक्त की संस्तुति पर राज्य कार्यकारिणी समिति के परामर्श से प्रदान किया जाता है।

2- दीर्घ कालीन सेवा अलंकरण : यह पुरस्कार अधिकार-पत्र प्राप्त सदस्यों को जिन्होंने 10 वर्ष या अधिक विश्वसनीय तथा कार्य कुशलता से अपने पद पर सेवा की हो, जिला मुख्यायुक्त एवं जिला आयुक्त की संस्तुति पर राज्य मुख्यायुक्त द्वारा राज्य कार्यकारिणी के परामर्श से प्रदान किया जाता है।

3- श्रेष्ठता पदक : (मेडल ऑफ मेरिट) यह पुरस्कार वारंट प्राप्त तथा बिना वारंट प्राप्त वाले यूनिट लीडर, तथा पदाधिकारियों को आन्दोलन में कम से कम 10 वर्ष की सक्रिय तथा प्रशंसनीय सेवा के लिए जिला मुख्यायुक्त एवं जिला आयुक्त की संस्तुति पर राज्य मुख्यायुक्त द्वारा राज्य कार्य कारिणी समिति के परामर्श से प्रदान किया जाता है।

4- श्रेष्ठता पदक पर पट्टी : (बार टू दि मेडल ऑफ मेरिट) श्रेष्ठता पदक प्राप्ति के कम से कम 5 वर्ष की अवधि के पश्चात उसी प्रकार की सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

